वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये जारी विद्युत दर निर्धारण आदेश के मुख्य बिन्दु

1 आयोग द्वारा विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी की विद्युत दरो में कोई वृद्धि नही की गई है।

2 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा रूपये 34010 करोड़ की कुल राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की गई थी, जिसके विरूद्ध आयोग द्वारा रूपये 31767 करोड की राजस्व आवश्यकता को स्वीकृत किया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2015–16 के मप्र पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा मप्र पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड के टैरिफ आदेश के सत्यापन एवं विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय वर्ष 2012–13 के पूरक बिलो का वित्तीय प्रभाव सम्मिलत है।

3 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए विनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप ही वितरण हानियों के निम्नानुसार स्तर को ग्राह्य किया गया है :–

कम्पनी	वर्ष 2018–19 के लिए ग्राह्य वितरण हानियों का स्तर
पूर्व	**16%**
पश्चिम	**15%**
मध्य	**17%**

टैरिफ अंतर्गत विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:–

(i) घरेलू उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही. 1.2 के लिए स्थाई प्रभार का निर्धारण :– घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए स्थाई प्रभार का निर्धारण पूर्व मे प्रचलित प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवॉट के अधिकृत भार के समतुल्य के स्थान पर प्रत्येक 15 यूनिट खपत के लिए 0.1 किलोवॉट या उसके भाग के आधार पर होगा। स्थाई प्रभार 0.1 किलोवॉट के अनुपात मे निर्धारित किया गया है।

(ii) घरेलू उपभोक्ता श्रेणी एल.व्ही. 1.2 के अन्तर्गत स्वयं के आवास परिसर के निर्माण हेतु अस्थायी संयोजन :– एल.व्ही. 1.2 श्रेणी के अस्थायी संयोजन के निश्चित प्रभार रूपये 390 और 350 प्रति किलोवॉट स्वीकृत भार प्रतिमाह को कम करके रूपये 300 और 250 प्रति किलोवॉट प्रतिमाह क्रमशः शहरी और ग्रामीण कनेक्शनों के लिए किया गया है।

(iii) घरेलू और गैर घरेलू श्रेणियों के लिए प्रीपेड उपभोक्ताओं को छूट मे वृद्धि :– प्रीपेड मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट, 20 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ा कर 25 पैसे प्रति यूनिट की गई है।

(iv) अस्थायी टैरिफ :– अस्थायी कनेक्शन/आपूर्ति के लिए दरें जहां भी सामान्य दरों से 1.3 गुना है उन्हें कम करके 1.25 गुना किया गया है।

(v) अनुबंध मांग/संयोजित भार में वृद्धि :– एलटी 5.3 श्रेणी (मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, (aquaculture) रेशम उद्योग (sericulture), अण्डा सेने के स्थलों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों (poultry farms), पशु–प्रजनन केन्द्रों (cattle breeding farms), तथा डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण,) के लिए टैरिफ अनुबंध मांग/संयोजन लोड की अधिकतम सीमा को 100 एचपी से बढ़ाकर 150 एचपी तक संशोधित किया गया है।

(vi) निम्नदाब उद्योग एल.वी. 4 श्रेणी के लिए न्यूनतम खपत में कमी :– एल.वी. 4 श्रेणी के लिए न्यूनतम खपत क्रमशः ग्रामीण और शहरी कनेक्शन में 180 और 360 यूनिट प्रति वर्ष प्रति एच.पी. से कम कर क्रमशः 120 और 240 यूनिट प्रति वर्ष प्रति एच.पी. की गई है।

(vii) एल.वी. 5.1 और एल.वी. 5.4 श्रेणियों के लिए ऊर्जा लेखापरीक्षा और लेखांकन का आधार :– शहरी और ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए मानक (नारमेटिव) खपत को 1590 यूनिट प्रति वर्ष प्रति एच.पी. शहरी और ग्रामीण कनेक्शन के लिए संशोधित किया गया है। फ्लेट रेट कृषि पम्प उपभोक्ताओं को पूर्वानुसार रूपये 1400 प्रति एच.पी. वार्षिक ही देय होगा।

(viii) मौजूदा एल.टी. औद्योगिक/गैर–घरेलू कनेक्शन को संबंधित एच.टी.कनेक्शन में परिवर्तित करना मौजूदा एल.टी. उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में एक रूपये प्रति यूनिट की छूट प्रदान की जाएगी जो वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एच.वी. 3 श्रेणी में परिवर्तित हो जाते हैं।

(ix) नए रेलवे कर्षण प्रोजेक्ट के लिए छूट में वृद्धि :– नए रेलवे कर्षण भार के लिए ऊर्जा प्रभार में छूट 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है जो कि वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लागू रहेगी।

(x) एच.वी. 3.1 की प्रयोज्यता श्रेणी : – शीत भंडार (Cold Storage) भी एच.वी. 3.1 श्रेणी में शामिल किए हैं।

(xi) वर्तमान एच.टी. कनेक्शन के लिए छूट : – इंक्रीमेंटल (वृद्धिशील) खपत पर पूर्व में प्रचलित 10 प्रतिशत छूट के स्थान पर 60 पैसे प्रति यूनिट छूट प्रदान की गई है, जिसमें भार वृद्धि के कारण बढ़ने वाली खपत भी शामिल है ।

(xii) केप्टिव पॉवर प्लांट उपभोक्ताओं के लिए छूट :–छूट की प्रयोज्यता को वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लागू किया गया है। यह छूट म.प्र. में स्थित केप्टिव पॉवर प्लांट के लिए है।

(xiii) ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए छूट :– ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को जो वर्तमान में ओपन एक्सेस के माध्यम से बिजली का उपयोग कर रहे हैं एवं परिवर्तित होकर वितरण कंपनी से

विद्युत प्रदाय लेना चाहते हैं, उन्हें बढी हुई खपत पर एक रूपये प्रति यूनिट की छूट का प्रावधान रखा गया है ।

(xiv) एल.वी. और एच.वी. श्रेणीयों में इलेक्ट्रिक वाहन/इलेक्ट्रिक रिक्शा को चार्ज करने के लिए अलग–अलग टैरिफ श्रेणी बनाई गई है।

(xv) एच.टी. अस्थायी टैरिफ की अतिरिक्त मांग जो वर्तमान में 1.5 गुना अस्थायी टैरिफ पर बिल किया जाता है, को घटाकर 1.2 गुना कर दिया गया है।

उक्त संक्षेपिका हिन्दी में अनुवादित की गई है । यदि अनुवाद में कोई विसंगति होगी तो टैरिफ आदेश में दिये गये संबंधित शर्तें इत्यादि का विवरण मान्य होगा । आयोग द्वारा दिनांक 03 मई 2018 को जारी टैरिफ आदेश आयोग की वेबसाइट www.mperc.in में उपलब्ध है।